भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या644

दिनांक 29.04.2015/09 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए निर्धारित रकम और सुविधाएं

†644 श्री हरिवंश

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए तय दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया जाता है;

(ख) क्या आत्मसमर्पण के लिए सरकार की ओर से निर्धारित रकम और सुविधा पर्याप्त है;

(ग) क्या नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए किए जाने वाले प्रयास पर्याप्त हैः और

(घ) सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (घ): वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास की अपनी नीतियां हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार अपनी नीतियों के अनुसार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है।

भारत सरकार ने दिनांक 01.04.2013 से 'प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवादियों की आत्मसमर्पण-सह- पुनर्वास योजना' के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। संशोधित नीति के अनुसार, केन्द्र सरकार ऊंचे रैंक वाले एलडब्ल्यूई काडरों के लिए 2.5 लाख रू. और मध्य/निचले रैंक वाले एलडब्ल्यूई काडरों के लिए 1.5 लाख रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी काडरों के अनुदान पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। हथियारों/गोलाबारुदों के समर्पण के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की भी प्रतिपूर्ति की जाती है , जो डेटोनेटर से लाइट मशीनगन, रॉकेट लांचर आदि जैसे समर्पण किए गए हथियार की श्रेणी के आधार प्रति हथियार 10 रु. से 35000रु. तक होती है। इसके अतिरिक्त, न्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने समय आत्मसमर्पणकर्ता को अधिकतम 36 माह की अवधि के लिए 4000रु. प्रति माह प्रति आत्मसमर्पणकर्ता की अधिकतम सीमा के अध्यधीन पर मासिक वजीफे के भुगतान की भी प्रतिपूर्ति की जाती है। संशोधित नीति में उन राज्य सरकारों द्वारा जांच-सह- पुनर्वास समितियों के गठन की भी परिकल्पना की गई है , जो आत्मसमर्पण करने वाले एलडब्ल्यूई काडरों की पहचान एवं पुनर्वास की प्रक्रिया में शामिल हैं।

******